रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 1994/चैत्र 22, 1916
No. 159] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 1994/CHAITRA 22, 1916

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

(ई.सी.बी. और निवेश प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1994

सा.का.नि. 380 (अ) :—प्रतिभूति संविदाएं (विनियमन) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों से सम्बद्ध निम्नलिखित मसौदे को जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार प्रतिभूति संविदाएं (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रस्ताव करती है, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है और जो उसके द्वारा सम्भावित रूप से प्रभावित सभी लोगों की सूचना के लिए उपरोक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदे पर उस तारीख से जब से यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में

प्रकाशित होकर उसकी प्रतियां जनसाधारण के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं पैंतालीस दिवस तक अथवा उसके बाद की समयावधि के समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा।

यदि उक्त समयावधि के समाप्त होने से पहले सम्बद्ध मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त होता है तो उस पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

उक्त मसौदा नियमों के संबंध मे यदि कोई व्यक्ति आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह इन्हें केन्द्र सरकार द्वारा विचार करने के लिए यथानिर्दिष्ट समयावधि के भीतर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मन्त्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेज सकता है।

मसौदा नियम

1. (1) ये नियम प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) संशोधन, नियम, 1994 कहे जाएंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अन्तिम रूप से प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगें।

2. शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षर के लिए नियम 8 में खण्ड (4क) में, उप खण्ड (4) में "खण्ड (1) [[उसके उप खण्ड (च) को छोड़कर] के स्थान पर शब्दों, कोष्ठकों, अंक और अक्षरों "खण्ड (1) [उसके उप खण्ड (ख) अथवा उप खण्ड (च) के परन्तुक को छोड़कर] को रखा जाएगा।

[ए फ. सं. 2/9/एस. ई./93]

पी. जे. नायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(ECB & Investment Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 1994

G.S.R. 380(E).—The following draft or certain rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information

of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of fortyfive days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published are made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be considered by the Central Government.

Any person desiring to make any objection or suggestion in respect of said draft rules may forward the same for consideration by the Central Government within the period so specified above to the Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regluation) Amendment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on hte date of their final publication in the Official Gazette.

2. In rule 8, in clause (4A), in sub-clause (iv) for the words, brackets, figure and letter"clause (1) [except proviso to sub-clause (b) or sub-clause (1) figure and letter 'clause (1) [except sub-clause (f) thereof]" the words, brackets, thereof]" shall be substituted.

[F. No. 2|9|SE|93]

P. J. NAYAK, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994